परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 25 अप्रैल 2016 पर आधारित है।

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत : राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – ट्रांश 1

परियोजना का नाम	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – ट्रांश 1
परियोजना की संख्या	49228-002
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	प्रस्तावित
परियोजना प्रकार / सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत / राशि	**ऋण : राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – ट्रांश 1** साधारण पूंजी संसाधन — यूएस डॉलर 220.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर / उप–सेक्टर	**परिवहन** - सड़क परिवहन (गैर–शहरी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कुछ लैंगिक तत्व
विवरण	प्रस्तावित निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2000 किलोमीटर राज्य राजमार्ग के सुधार तथा प्रमुख जनपद सड़कों (एमडीआर'स) को 2–लेन या सड़क संरक्षा मानकों की पूर्ति करने वाले मध्यवर्ती–लेन मानकों के अनुरूप बनाने द्वारा परिवहन कुशलता और राजस्थान राज्य राजमार्गों पर संरक्षा में सुधार होगा। राजस्थान लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पीपीपी प्रभाग की व्यवसाय प्रक्रिया में तथा परियोजना निष्पादन मॉनीटरन प्रणाली में सुधार होगा। अन्ततः इस निवेश कार्यक्रम से राजस्थान में सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों हेतु पहुंच में सुधार होगा।
परियोजना तर्काधार और देश / क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत आवृत्त करते हुए देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा इसकी जनसंख्या लगभग 68.6 मिलियन है, जो भारत की कुल जनसंख्या का करीब 5 प्रतिशत है। यह भारत के अल्प आय राज्यों में एक है तथा राज्य की लगभग 75

	प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है और अपनी जीविका के लिए प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर है। राज्य की व्यापक रूप से प्रकीर्ण जनसंख्या के कारण इसकी प्रति व्यक्ति विकास लागत बहुत ऊंची है। राजस्थान में सड़क घनत्व राष्ट्रीय औसत 110 की तुलना में लगभग 60 किमी प्रति 100 वर्ग किमी मात्र है। यद्यपि न्यून–निवेश तथा अपर्याप्त अनुरक्षण के चलते अनेक राज्य राजमार्ग तथा एमडीआर'स खराब हालत में हैं, तदपि प्रस्तावित परियोजना बेहतर और सुरक्षित सड़क संयोजकता और निरंतर अनुरक्षण पर फोकस में वृद्धि की दिशा में राज्य सरकार की पहल में सहायक होगी।
प्रभाव	सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों हेतु पहुंच में सुधार
परिणाम	राजस्थान के राज्य राजमार्गों पर परिवहन की कुशलता एवं सुरक्षा में सुधार
आउटपुट्स	राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख जनपद सड़कों का सुधार राजस्थान पीडब्ल्यूडी की क्षमता में वृद्धि
भौगोलिक अवस्थिति	

संरक्षा संवर्ग

पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	क
स्वदेशी लोग	ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू	ट्रांश 1 पर्यावरण प्रभावों के संबंध में एशियाई विकास बैंक के एसपीएस के अनुसार संवर्ग ख के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अधिकांश प्रभाव निर्माण चरण के साथ समाप्त हो जाएंगे। ट्रांश 1 के तहत पूर्वानुमानित पर्यावरण प्रभावों की सूची में सड़क निर्माण के साथ जुड़े विशिष्ट मुद्दे जैसेकि धूल, शोर, ऊब, निर्माण तथा श्रमिक शिविरों का अपशिष्ट, जल संदूषण, जीव आवागमन तथा पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इत्यादि मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपीएस) में उपशमन उपाय शामिल किए गए हैं। विशेष रूप से थार मरूस्थल में चिंकारा, नीलगाय तथा सड़क उपयोगकर्ताओं के आवागमन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम रखने के लिए संकेत पटों तथा भूमिगत मार्ग के रूप में उपयोग हेतु वनस्पति छद्मआवरण के साथ चुनिंदा पाइप का बॉक्स पुलियों में परिवर्तन डिजाइन में शामिल किया गया है। जहां पर्याप्त आरपीडब्ल्यूडी भूमि उपलब्ध है वहां हरित सुरंगों के किनारे वृक्ष कटाई न्यूनतम रखने के लिए उत्केन्द्रीय सड़क को चौड़ा करना प्रस्तावित है। सड़क–विशिष्ट ईएमपीएस तथा संदूषक लागतें बोलीदान दस्तावेजों का हिस्सा हैं। परियोजना तैयार करने के चरण में सार्थक परामर्श संचालित किया गया है।
अस्वैच्छिक पुनर्वास	उप परियोजनाओं के संवीक्षण और तैयारी के मार्गदर्शन के लिए निवेश कार्यक्रम हेतु एक पुनर्वास संरचना तैयार की गई है। ट्रांश 1 अस्वैच्छिक पुनर्वास के संबंध में एशियाई विकास बैंक के सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य, 2009 के अनुसार संवर्ग क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 16 परियोजना सड़कों का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि भूमि अधिग्रहण तथा अस्वैच्छिक पुनर्वास की आवश्यकता न्यूनतम हो। अधिप्राप्ति

	पैकेजों के साथ सुसंगत चार पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं, जो क्षतिपूर्ति का अधिकार, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनरूद्धार तथा पुनर्वास अधिनियम (2013) तथा एशियाई विकास बैंक के एसपीएस के अनुरूप है तथा इसका खुलासा उपयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रभावों का आकलन किया जा चुका है तथा पुनर्वास योजनाओं में प्रस्तावित उपाय परियोजना के आकलन किए गए प्रभावों के समानुपाती हैं। आरपीडब्ल्यूडी ने पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समयानुसार संसाधन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। आरपीडब्ल्यूडी पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक अनुभवी एनजीओ नियुक्त करेगा।
स्वदेशी लोग	ट्रांश 1 एशियाई विकास बैंक के एसपीएस के अनुसार ग संवर्ग में सूचीबद्ध किया गया है। सम्यक् सतर्कता पुष्टि करती है कि परियोजना प्रभाव क्षेत्र में कोई स्वदेशी लोक समूह नहीं हैं। भावी उप परियोजनाओं के संवीक्षण और तैयारी के मार्गदर्शन के लिए निवेश कार्यक्रम हेतु एक स्वदेशी लोग योजना संरचना तैयार की गई है।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	सभी ट्रांश 1 परियोजना सड़कों के किनारे सार्थक परामर्श तथा सामाजिक सर्वेक्षण संचालित किए गए थे। परियोजना की तैयारी के दौरान, सिविल सोसायटी के साथ सक्रिय परामर्श किया गया तथा सड़क डिजाइनों के सुधार में भाग लिया। परामर्श के प्रमुख उद्देश्यों में परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सड़क निवासियों को शिकायत तंत्र के बारे में सूचित करना, समुदायों की जरूरतों तथा चिन्ताओं का पता लगाना और परियोजना के लाभों के संवर्द्धन एवं नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु सुझाव प्राप्त करना शामिल थे।
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	कार्यान्वयन के दौरान, सिविल सोसायटी तथा हितधारकों को सूचित किया जाना तथा उनके साथ परामर्श किया जाना जारी रहेगा। शिकायत संबोधन तंत्र स्थापित किया जाएगा। परियोजना प्राधिकारियों में एशियाई विकास बैंक की प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षोपाय आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

जिम्मेदार स्टाफ

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	चेन चेन
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन और संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	**राजस्थान सरकार** मेन बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर–302005, भारत

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी	-
तथ्य अन्वेषण	29 फरवरी 2016 से 11 मार्च 2016 तक
एमआरएम	29 अप्रैल 2016
अनुमोदन	05 अक्टूबर 2016
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	29 मार्च 2016

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।